2025:CGHC:38779

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील प्रतिकर क्रमांक 1390/2022

{पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायगढ़ द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 125/2021 में दिनांक 29–7–2022 को पारित अधिनिर्णय से उद्भूत}

शाखा प्रबंधक, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस (सही नाम एश्योरेंस) कंपनी लिमिटेड, शुभम कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, एसबीआई मुख्य शाखा के पास, केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड, रायगढ़, तहसील एवं जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

(अनावेदक क्रमांक 3)

...अपीलार्थी

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. श्रीमती चंद्रमा राठिया, पति स्व. नेहरू लाल राठिया, आयु लगभग 52 वर्ष ।

2.अनुप राठिया पिता स्व. नेहरू लाल राठिया आयु लगभग 27 वर्ष ।

3.कन्हैया राठिया पिता स्व. नेहरू लाल राठिया आयु करीब 21 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम समकेरा, थाना तमनार, तहसील तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

वर्तमान निवासी–ग्राम बोदाटिकरा, थाना चक्रधर नगर, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

(दावाकर्तागण)

4. गुरूचरण पैकरा पिता चमार साय पैकरा, आयु लगभग 28 वर्ष , निवासी– ग्राम गुडियाडीह, थाना लाईफरीपारा, तहसील एवं जिला सुंदरगढ़ (ओडिशा)

(अनावेदक क्रमांक 1)

(वाहन चालक)

5. राजेश गुप्ता पिता धनेश्वर प्रसाद गुप्ता ,आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी सेमीजोर, थाना एवं तहसील तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़.

(अनावेदक क्रमांक 2)

(वाहन स्वामी)

... प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से: श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता की ओर से सुश्री स्वाति अग्रवाल, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण की ओर से: कोई भी उपस्थित नहीं, यद्यपि सूचना की तामिली की गई।

एकलपीठः–

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर आदेश

05/08/2025

1. इस अपील में अन्तर्वलित संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 के अर्थ में मोटर यान के उपयोग से हुई मृत्यु कहा जा सकता है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. उपरोक्त विधिक प्रश्न निम्नानुसार तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से उद्भूत होता है: –

3. गुरुचरण पैकरा– प्रत्यर्थी क्रमांक 4, जो राजेश गुप्ता– प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के स्वामित्व वाले और अपीलार्थी द्वारा बीमाकृत वाहन का चालक है, ने कोयले से लदे ट्रक को रायगढ़ में कोट्रालिया साइडिंग के पास 11 केवी के उच्च–तनाव वाले बिजली के तार के पास खड़ा किया था। मृतक आयु लगभग 23 वर्ष, जो उक्त ट्रक में खलासी/सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत था और ₹15,000/– प्रति माह कमाता था, ट्रक को तिरपाल से ढकने के लिए उक्त वाहन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था और इसी बीच, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 के चालक गुरुचरण पैकरा ने तेज गति व उपेक्षापूर्वक वाहन को पीछे की ओर मोड़ दिया, जिससे मृतक 11 केवी के उच्च–तनाव वाले बिजली के तार के संपर्क में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी क्रमांक 4 वाहन चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 क के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदिन पंजीबद्ध किया गया और उसके विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3/दावाकर्तागण मृतक के विधिक प्रतिनिधि होने के नाते मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 166 के अधीन दावा याचिका प्रस्तुत की और ₹ 38,40,000/– के प्रतिकर का दावा किया।

4. बीमा कंपनी ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए अन्य बातों के साथ–साथ यह भी तर्क किया कि अधिनियम की धारा 166 के अधीन दावा याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि मृतक की मृत्यु 11 केवी के उच्च–तनाव वाले विद्युत तार के संपर्क में आने से हुई और यह मोटर यान के उपयोग के कारण नहीं हुई, अतः बीमा कंपनी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। दावा अधिकरण ने अपने आक्षेपित अधिनिर्णय द्वारा

प्रतिकर निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा और ब्याज सहित ₹17,02,960/– का आदेश दिया, यह मानते हुए कि चूँकि मृतक वाहन में था और कोयले से लदे वाहन को तिरपाल से ढकने का प्रयास कर रहा था और इस दौरान, वह 11 केवी के विद्युत तार के संपर्क में आ गया, इसलिए, यह मोटर यान के उपयोग के कारण हुई है और इस प्रकार, दावा विचारणीय है और इस प्रकार बीमा कंपनी के विरुद्ध दायित्व अधिरोपित किया गया। आक्षेपित अधिनिर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री स्वाति अग्रवाल ने तर्क किया कि मृतक की मृत्यु बिजली के झटके से हुई है और इसलिए यह मामला बीमा कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि यह अधिनियम की धारा 165 के अर्थ में मोटर यान के उपयोग से उद्भूत नहीं हुआ है और इस प्रकार, बीमा कंपनी को प्रतिकर की राशि का संदाय करने के दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिए।

6. आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन करने हेतु प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने अपीलार्थी बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनके तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

8. अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिवचन पर विचार करने हेतु, अधिनियम की धारा 165 पर विचार करना उचित होगा। धारा 165 की उपधारा (1) में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है:–

> **"165. दावा अधिकरण** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अधिकरण नहा गया है। ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकार के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है या पर–व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई है।
>
> स्पष्टीकरण– शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु वा उन्हें शारीरिक क्षति हुई है धारा 164 के अधीन प्रतिकर के लिए दावे भी शामिल हैं।

9. उपरोक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि दावा अधिकरण मोटर यानों के उपयोग से उद्भूत दुर्घटनाओं के संबंध में प्रतिकर के दावों पर निर्णय दे सकता है। मुख्य आवश्यकता यह है कि दुर्घटना मोटर यान के उपयोग से उद्भूत होनी चाहिए।

10. प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर "मोटर वाहनों के उपयोग से उद्भूत" अभिव्यक्ति में "उपयोग" शब्द की व्याख्या पर निर्भर करता है। मोटर यान अधिनियम, 1988 में "उपयोग" शब्द का अर्थ नहीं दिया गया है। इसे **ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी**, आठवें संस्करण मे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: –

> "उपयोग (यूस), संज्ञा 1. किसी चीज़ का उपयोग या नियोजन; विशेष रूप से, किसी चीज़ का उस उद्देश्य के लिए लंबे समय तक कब्ज़ा और नियोजन जिसके लिए उसे अनुकूलित किया गया है, उस कब्ज़े और नियोजन से अलग जो केवल अस्थायी या कभी–कभार होता है <पड़ोसियों ने शहर में मालिक द्वारा इमारत के डांस क्लब के रूप में उपयोग के बारे में शिकायत की>।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. ब्लैक लॉ डिक्शनरी से लिए गए शब्द "उपयोग" के अर्थ से यह स्पष्ट है कि एक मोटर यान जो किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में है, उसे उपयोग में मोटर यान कहा जा सकता है। जब मोटर यान गति की स्थिति में होता है, तो वह यात्रियों को ले जाने के लिए नियोजित होता है और जब वह विराम या स्थिर अवस्था में होता है, तब भी वह यात्रियों को बस से उतरने या बस में चढ़ने में सक्षम बनाने या सामान चढ़ाने और उतारने के लिए नियोजित होता है। वास्तव में, एक मोटर यान जो सड़क पर होता है, वह उपयोग में या निरंतर उपयोग में होता है और, परिणामस्वरूप, ऐसे मोटर यान से जुड़ी कोई भी दुर्घटना, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट पहुँचती है, मोटर यान के उपयोग से उद्भूत दुर्घटना है।

12. "मोटर यान" शब्द को अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (28) में परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है: –

> (28) "मोटर यान" या "यान" से कोई ऐसा यंत्र नोदित यान अभिप्रेत है जो सड़कों पर उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है, चाहे उसमें नोदन शक्ति किसी बाहरी स्रोत से संचारित की जाती हो या आंतरिक स्रोत से और इसके अंतर्गत चैसिस, जिससे बाडी संलग्न नहीं है और ट्रेलर भी है, किन्तु इसके अंतर्गत पटरियों पर चलने वाला यान अथवा केवल कारखाने में या अन्य

किसी सीमाबद्ध परिसर में उपयोग किए जाने के अनुकूल बना लिया गया विशेष प्रकार का यान या चार से कम पहियों वाला यान जिसमें पच्चीस घन सेंटी मीटर से अनधिक क्षमता वाला इंजन लगाया गया है, नहीं है;

13. **शिवाजी दयानू पाटिल विरुद्ध वत्सला उत्तम मोरे**[1] के प्रकरण में, मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 92–क(1) और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 में प्रयुक्त वाक्यांश "मोटर यान के उपयोग से उद्भूत" पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मोटर यान का "उपयोग" शब्द एक बहुत व्यापक क्षेत्र को आच्छादित करता है, एक ऐसा क्षेत्र जो मोटर यान के यातायात उपयोग से कहीं अधिक व्यापक है और किसी यान का उपयोग उस अवधि तक सीमित नहीं है जब वह गति में था या गतिमान था और वह यान तब भी उपयोग में रहेगा जब वह स्थिर था।

14. **कलीम खान व अन्य विरुद्ध फिमिडाबी व अन्य**[2] (तीन न्यायाधीशों की पीठ) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि कतिपय परिस्थितियों में "वाहन का उपयोग" शब्द लागू हो सकता है जब वाहन स्थिर या अचल हो। माननीय न्यायाधीशों ने निम्नानुसार अवधारित किया:–

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "25. उपरोक्त प्राधिकारियों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि कतिपय परिस्थितियों में "वाहन का उपयोग" शब्द लागू हो सकता है जब वाहन स्थिर या अचल हो। कन्हेई राणा विरुद्ध गंगाधर स्वैन[3] में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने एक ऐसी स्थिति पर विचार किया जहाँ मृतक मज़दूर ने ट्रक में लकड़ियाँ लादने के बाद अपनी जान दे दी। अधिकरण ने स्पष्ट रूप से पाया था कि मृत्यु एक लकड़े के गिरने के कारण हुई थी, जब ट्रक में लट्ठियाँ भरी जा रही थीं। अपील में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिकरण के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि लट्ठे के गिरने का वाहन के उपयोग से दूर–दूर तक कोई संबंध नहीं था, और ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि लकड़े का गिरना वाहन के उपयोग के कारण हुआ था। उन्होंने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया था कि वाहन पर लादे या उतारे जा रहे सामान को उपेक्षापूर्वक संभालने का वाहन से कोई संबंध नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को पलटते हुए, खंडपीठ ने यह राय व्यक्त की कि गति की अवधारणा आंतरिक रूप से या स्वाभाविक रूप से उपयोग से जुड़ी नहीं है और "उपयोग" शब्द का अर्थात्मक रूप से विस्तार

1 (1991) 3 SCC 530
2 (2018) 7 SCC 687
3 1992 SCC OnLine Ori 30 : AIR 1993 Ori 89

किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे 1939 के अधिनियम की धारा 110 के अधीन किए गए दावे के क्षेत्र/घेरे तक भी विस्तारित किया जा सकता है। वाहन के उपयोग के दौरान उपेक्षापूर्वक बचने की भारी ज़िम्मेदारी चालक पर डाली जाती है। यदि "उपयोग" शब्द अपने वैचारिक दायरे में किसी गति या चाल या स्थिरता को शामिल नहीं करता है, तो तार्किक रूप से यह आवश्यक हो जाता है कि चालक या उस प्रकरण में स्वामी का कोई भी प्रतिनिधि सावधान हो और लापरवाह न हो। वाहन चलाते समय लापरवाही को इस तथ्य के रूप में माना जाता है कि वाहन गति में है। लेकिन "उपयोग" की परिभाषा अपने व्यापक दायरे में विस्तारित होने के कारण, इसे अपने दायरे में लापरवाही की अन्य श्रेणियों को भी शामिल करना होगा। विस्तार से कहें तो, जब कोई वाहन स्थिर रहता है, तो वह उपेक्षा कारित नहीं कर सकता कि चालक ने तेज़ गति और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने के कारण उपेक्षा की है। इसके विपरीत, इसमें कुछ अन्य विभिन्न प्रकार की लापरवाही शामिल होनी चाहिए। बेशक यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आगे अभिनिर्धारित किया कि पाटिल [शिवाजी दयानू पाटिल विरुद्ध वत्सला उत्तम मोरे, (1991) 3 एससीसी 530: 1991 एससीसी (दा.) 865] में उच्चतम न्यायालय उपेक्षापूर्वक का निराकरण करते हुए जहाँ तक यह अधिनियम की धारा 92 से संबंधित था, लेकिन चूँकि पुराने अधिनियम की धारा 92–क और धारा 110 की भाषा में एक ही शब्दावली का प्रयोग किया गया था और किसी भी व्युत्पत्ति संबंधी भेद का अभाव है, इसलिए पुराने अधिनियम की धारा 110 के अधीन अभिव्यक्ति को वही अर्थ दिया जाना चाहिए। अपीलीय पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना के साथ कारणात्मक संबंध था जिसके परिणामस्वरूप दावाकर्ता की मृत्यु हुई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में, कोयले से लदा दुर्घटना कारित करने वाला वाहन स्थिर था और उक्त वाहन का मृतक सफाईकर्मी तिरपाल से वाहन को ढकने के लिए वाहन पर चढ़ा था और इसी बीच, चालक ने वाहन को पीछे किया जिससे वह 11 केवी के उच्च–तनाव वाले विद्युत तार के संपर्क में आ गया और बिजली का झटका लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार, यद्यपि वाहन स्थिर था, किंतु मृतक सफाईकर्मी की हैसियत से वाहन में था और ट्रक के सामान यानी कोयले को खोलने का प्रयास कर रहा था और इसी बीच, चालक ने सफाईकर्मी को सूचित किए बिना, तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक,ट्रक/वाहन को पीछे कर दिया जिससे वह 11 केवी के उच्च–तनाव वाले

विद्युत तार के संपर्क में आ गया और बिजली का झटका लगने से उसकी मृत्यु हो गई, जो मेरी सुविचारित अभिमत में "मोटर यान के उपयोग से उद्भूत" वाक्यांश के अंतर्गत आता है। इसलिए, मृतक सफाईकर्मी के विधिक प्रतिनिधियों का दावा निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 165 व धारा 166 के अधीन आता है और विद्वान दावा अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष पूर्णतः उचित है। मुझे इस अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता, यह खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार खारिज की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur